आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 112 /इंदौर/2020
निर्धारण वर्ष : 2015-16

आकाश यशवंत सोलंकी, बुरहानपुर	बनाम	आयकर अधिकारी, बुरहानपुर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-बीएक्सजेपीएस 8108 एन		

अपीलार्थी की ओर से	श्री पंकज शाह, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	23.06.2021
उद्घोषणा तिथि	24.06.2021

आदेश

सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 20.06.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत आवेदन किया है तथा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारिती का आवेदन स्वीकार करके फार्म सं. 3 जारी किया गया है । अतः

निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं । हालांकि निर्धारिती आयकर अधिनियम के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर विविध आवेदन दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा यदि आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 5 जारी नहीं किया जाता है ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 24.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 24.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल